अपील सूचना अधिकार संख्या 82/2020 (RCMS 2020/00150) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु ... वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक , श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

06.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2020 से जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.06.202 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. राजस्थान सरकार के निर्वाचन विभाग जयपुर के पत्रांक 06.10. 20218 की पालना में विधानसभा चुनाव 2018 में जिला निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोड़ने के आदेश पारित किये गये थे।
2. लोकसभा चुनवाव में बिना जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमति के [illegible] छोडने की अनुमति किसी भी [illegible] कि कर्मकार चुनाव डयूटी पर [illegible] से मांगता है [illegible] कायार्लय का अधिकारी मुख्य[illegible] छोड़ने की अनुमति [illegible]ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रदान करने की स्थिती में जो कार्यवाही विभागीय या दाडिंक ——— दोषी के विरूद्ध प्रावधित है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(51)(RTI)निर्वा/2020/1746 दिनांक 03.07.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपका आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2020 आईपीओ नं. 48एफ—311179 इस कार्यालय को दिनांक 12.06.2020 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा सूचना के अधिकार के प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेख की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।
>
> **संलग्न : उपरोक्तानुसार।**
>
> -sd-
>
> लोक सूचना अधिकारी एवं
> उप जिला निर्वाचन अधिकारी
> श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं का जवाब उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर **द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो नि**[illegible] और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृती[illegible] होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को [illegible] अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।**

चूंकि बिन्दु संख्या 02 में अपीलार्थी ने किसी निश्चित अभिलेख की सूचना नहीं चाही है, लोक सूचना अधिकारी को इस पर स्पष्ट निर्णय करना चाहिए था, जो नहीं किया है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे बिन्दु संख्या 02 के बारे में इस आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर भीतर अपीलार्थी को पुनः सुनकर विधिवत् निर्णय करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है **आदेश की प्रति उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:59 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर